न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:– 75 / 2014

प्रविष्टि दिनांक:– 14–11–2014

काना पुत्र लादू जाति माली निवासी ग्राम पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज)
..... अपीलार्थी

बनाम

1. मन्दिर श्री रूपेश्वर जी महाराज वाके ग्राम पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज. जरिये पुजारी हरिशचन्द पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राहमण (पाराशर) निवासी ग्राम पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक। ..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार मालपुरा
दिनांक 19–09–2014

उपस्थितः (1)श्री अशोक कासलीवाल / जितेन्द्र टाटावत, अभिभाषक, रेस्पोडेण्ट सं01
(2)श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं02

निर्णय दिनांक 23–12–2016

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा ने अपीलार्थी को कोई सूचना दिये बिना, न ही साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये निर्णय दिनांक 19.09.2014 पारित कर दिया। उक्त निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस बुलवाया जाकर अपीलाधीन प्रकरण को मंगवाया गया।

3. अपीलाण्ट ने सबूत दस्तावेजो में नकल निर्णय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 19.9.2014 की प्रमाणित फोटो प्रति, डिक्री व प्रार्थना पत्र दि0 17.07.14 द्वारा पुजारी हरिशचन्द ब्राहमण की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट व उनके अभिभाषक अनुपस्थित। बहस रेस्पोडेण्ट्स सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मेमों में अंकित किया है कि अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के निर्णय दिनांक 27.01.09 की पालना में 450 / –रू0 सालाना प्रत्यर्थी सं0 1 को हर वर्ष समय समय पर जाता रहा है लेकिन प्रत्यर्थी सं0 1 रूपये लेने तथा अपीलार्थी को रसीद देने को भी तैयार नहीं था। इस कारण अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि प्रति वर्ष के हिसाब से जमा नहीं कराई गई। रूबरू गवाह पटवारी हलका ने भी रूपये लेन व रसीद देने से स्पष्ट मना कर दिया इसमें अपीलार्थी की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अपीलार्थी ने सन् 2012 तक के 450 / –रू0 प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रत्यर्थी सं01 के पास जमा कराये है जिसकी रसीद भी नहीं दी गई, अपीलार्थी 2 वर्ष के रूपये भी जमा कराने का तत्पर है। अपीलार्थी ने भूमि खसरा नंबर 5220 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा मे

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

सरसों की फसल काश्त कर रहा है जो मौके पर खडी फसल है, ऐसी स्थिति में यदि उक्त भूमि प्रत्यर्थी सं0 को संभला दी गई तो अपीलार्थी को आर्थिक, शारीरिक व मानसिंक क्षति बर्दाश्त करनी पडेगी। प्रत्यर्थी उक्त राशि जानबूझ कर ले नहीं रहा ताकि अपीलार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर सके। अपीलार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के निर्णय व डिक्री दि0 2701.09 की पालना में हमेशा तैयार व तत्पर पर है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.09.2014 निरस्त फरमाया जावे।

5. अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ने दौराने बहस कथन किया कि जो शपथ पत्र अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश कराये गये है वे गलत है, अपीलार्थी द्वारा राशि प्रत्यर्थी सं0 1 को जमा नहीं कराने पर ही विवादित भूमि का कब्जा प्रत्यर्थी सं0 1 को संभलाया गया है जो पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से सिद्व है। अपीलाण्ट द्वारा जिस आदेश के विरूद्व अपील की गई है वह आदेश न होकर मात्र एक प्रशासनिक पत्र है जिसकी अपील नहीं की जा सकती। विवादित आराजी प्रत्यर्थी सं0 1 की खातेदारी की भूमि है। अपीलाण्ट द्वारा फसल काश्त करने के दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

6. राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील मेमों की पुष्टि में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अपील जो की गई है वह मात्र प्रशासनिक कार्यवाही के पत्र के विरूद्व की गई है न कि किसी निर्णय के विरूद्व। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

7. हमने रेस्पोडेण्ट्स की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील जिस निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत की है वह निर्णय न होकर मात्र प्रशासनिक कार्यवाही संबंधी पत्र है। अपील किसी निर्णय के विरूद्व ही की जा सकती है। जहां तक इस अपील पर बतौर न्यायालय इस न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने का प्रश्न है अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में अथवा बहस में यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह अपील किन नियमों व कानून के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। ऐसे प्रशासनिक कार्यवाही के विरूद्वं इस न्यायालय को अपील सुनने का श्रवणाधिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में यह अपील अपीलाण्ट न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने व सारहीन होने के कारण खारिज किया उचित प्रतीत होता है।

8. फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

9.. निर्णय आज दिनांक 23.12.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक राज0

Scanned by CamScanner